

an>

Title: Need to include bot caste in the list of Scheduled Tribes.

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : उपाध्यक्ष मठोदय, दिग्मालय की तत्कालीन में "बोट" जाति के लोग, नेपाल, भूटान सिविकम, अरुणाचल प्रदेश व उत्तराखण्ड सहित उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी, गोण्डा, बहराईत आदि के लोग निवास करते हैं। जिनको विभिन्न अध्ययन दलों द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए काहा गया है। बोट जाति इन सभी मानदण्डों के आधार पर अनुसूचित जनजाति में शामिल होने योग्य है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान ने भी बोट जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की संस्तुति की है। मैंने इस प्रकरण को लोक सभा में व उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी उठाया था, परन्तु उक्त बोट जाति के लोगों को अभी भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिला है।

मठोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि बोट जाति को समाज की मुख्याधारा में लाने तथा शैक्षिक, सामाजिक व आर्थिक समता प्रदान करने के लिए अनुसूचित जनजाति का दर्जा तत्काल दिया जाये। धन्यवाद।

HON. DEPUTY-SPEAKER:

Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Shri Ajay Misra Teni.